रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1547] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2010/श्रावण 6, 1932

No. 1547] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2010/SHRAVANA 6, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

का.आ. 1853(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

7 जुलाई, 2010

आदेश

श्री एस. जयामनी, भारतीनगर, पुडुचेरी द्वारा प्रस्तुत याचिका में श्री पी. अंगालेन, पुडुचेरी विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया था;

और उक्त याचिका में यह तर्क दिया गया था कि श्री अंगालेन पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण कर रहे थे, जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अर्थांतर्गत अभिकथित रूप से पुडुचेरी सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और इस प्रकार उन्होंने उक्त धारा के अधीन पुडुचेरी विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत की है;

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन इस प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगने के लिए तारीख 13 नवम्बर, 2009 को एक निर्देश किया गया था कि क्या श्री अंगालेन, पुडुचेरी विधान सभा सदस्य, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;

और अभिलेख पर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और समान प्रकृति के मामलों में कतिपय न्यायिक निर्णयों को देखते हुए निर्वाचन आयोग का सुविचारित मत (निर्वाचन आयोग की राय उपाबंध के रूप में संलग्न) यह है कि पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1973 की धारा 13क के अधीन, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद को संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निरर्हता उपगत करने से छूट प्राप्त है और परिणामत: श्री पी. अंगालेन, पुडुचेरी विधान सभा सदस्य, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण करने के आधार पर उक्त धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं है;

अत:, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करती हूँ कि श्री पी. अंगालेन, पुडुचेरी विधान सभा सदस्य, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष पद को धारण करने के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

भारत की राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

संदर्भ : संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1) के अधीन श्री पी. अंगालेन, राज्य विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।

2009 का निर्देश मामला सं0 3

[संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह भारत के राष्ट्रपति संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1) के अधीन प्राप्त निर्देश है, जिसमें निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न की क्या पुडुचेरी के श्री पी. अंगालेन, राज्य विधान सभा सदस्य संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन राज्य विधान सभा सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

2. श्री पी. अंगालेन, राज्य विधान सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री एस. जयामनी, भारती नगर, पुडुचेरी द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई याचिका में उठाया गया था । उक्त याचिका में यह प्रतिवाद किया गया है कि श्री अंगालेन, अध्यक्ष, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड का पद धारण कर रहे हैं जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अर्थ के भीतर पुडुचेरी सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और जिसको उक्त धारा के अधीन विधान सभा सदस्य होने के लिए निरर्हता लागू होती है । याचिका में किए गए अभिकथन/प्रक्कथन निम्नानुसार है :-

(i) पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3)(क) के अधीन बोर्ड का अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है । श्री पी. अंगालेन को पुडुचेरी सरकार द्वारा जी.ओ.एम. सं. 11/2009-एचजी तारीख 30 जुलाई, 2009 द्वारा पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था ।

(ii) पुडुचेरी सरकार ने सोसाइटियों, बोर्डों आदि के गैर-सरकारी अध्यक्ष के लिए 15,000/- रुपए प्रतिमास का वेतन/मानदेय नियत किया है । वस्तुतः, श्री अंगालेन ने सितंबर, 2009 माह के लिए 15,000/- रुपए का वेतन प्राप्त किया था और उससे पहले उन्होंने 5.8.2009 को कार्यभार ग्रहण करने से ही आनुपातिक आधार पर अगस्त माह के लिए 12,851/- रुपए वेतन के रूप में प्राप्त किए थे ।

(iii) पांडिचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम, 1994 कहा गया है) की अनुसूची के परंतुक के अनुसार निरर्हता तब लागू नहीं होती है जब धारक प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है । यदि अध्यक्ष पारिश्रमिक या फीस प्राप्त करता है तो निरर्हता लागू होगी ।

(iv) पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद पुडुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम, 2009 कहा गया है) द्वारा यथासंशोधित पुडुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची में निरर्हता से छूट प्राप्त पदों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(v) यद्यपि पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 13क यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के आधार पर विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या उसका सदस्य होने के लिए निरर्हत नहीं होगा कि वह बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य है, उस धारा के अंतर्गत श्री अंगालेन का मामला नहीं आएगा जो कार, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि सहित 15,000 रुपए प्रतिमास का वेतन/मानदेय प्राप्त कर रहे हैं । धारा 13क प्रत्यर्थी को निरर्हता से संरक्षण नहीं दे सकती है ।

3. आयोग ने श्री अंगालेन (प्रत्यर्थी) को 10.12.2009 को उनसे यह कहते हुए नोटिस जारी किया है कि वे याचिका में किए गए अभिकथनों का अपना उत्तर फाइल करें । प्रत्यर्थी ने अपने पत्र तारीख 19.1.2010 और 7.2.2010 द्वारा अपने लिखित कथन फाइल किए हैं ।

4. प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए हैं :-

(i) पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1973 जो 5.9.1974 को प्रवृत्त हुआ था, को बाद में एक नई धारा 13क अंतःस्थापित करके तारीख 23.12.1980 को 1980 के पुडुचेरी अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा संशोधित किया गया था, जो यह उपबंध करती है कि "कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य है राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए या उसका सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।" इस अंतर्निर्मित उपबंध के आधार पर बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण करने को विधान सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हता लागू नहीं होगी । उक्त धारा 13क को ध्यान में रखते हुए पुडुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 1994 में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(ii) बोर्ड के अध्यक्ष को स्वतंत्र शक्तियां प्रदत्त की गई है और उसका बोर्ड पर और बोर्ड की उसकी अपनी निधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है । अतः, अध्यक्ष को पूर्णतया सरकार के नियंत्रणाधीन होना नहीं कहा जा सकता ।

5. तारीख 7.2.2010 को प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए अतिरिक्त लिखित निवेदन में प्रत्यर्थी ने यह कथन किया है कि धारा 13क, 1980 में किए गए संशोधन द्वारा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1973 में समाविष्ट की गई थी जो पद पर उनकी नियुक्त किए जाने से बहुत पहले थी । उन्होंने यह निवेदन किया कि चूंकि, निरर्हता से अध्यक्ष को छूट प्रदान करने वाला उपबंध हाउसिंग बोर्ड अधिनियम में पहले ही समाविष्ट कर दिया गया था, 1994 के अधिनियम और बाद में किए गए 2009 के संशोधन अधिनियम में बोर्ड के अध्यक्ष के पद को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उन्होंने यह और निवेदन किया है कि हाउसिंग बोर्ड अधिनियम के अधीन उपबंधित अध्यक्ष के संबंध में निरर्हता से छूट एक अनरर्हित छूट थी और कार, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि जैसी प्रदान की गई अन्य सुविधाएं आवास बोर्ड की संपत्तियां न कि अध्यक्ष की ।

6. याची ने अपने प्रत्युत्तर में निवेदन को पुनः दोहराया कि श्री अंगालेन मानदेय और अन्य

परिलब्धियों की हकदारी के आधार पर निरर्हित किए जाने के दायी थे । उन्होंने कहा कि लाभ के पद का धारण करने के लिए निरर्हता अधिरोपित करने का तर्क विधान-मंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए और विधान सभा के सदस्यों के कर्तव्य और हित के बीच द्वंद से बचने के लिए है और ऐसी शुद्धता की प्रत्याशा नहीं की जा सकती यदि किसी सदस्य को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे पद धारण करने के लिए पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है उन्होंने आगे यह कहा कि विधान मंडल का आशय जैसा 2009 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम, 1994 से स्पष्ट है, यह है कि अध्यक्ष को प्रतिकारात्मक भत्तों से भिन्न कोई फीस या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना चाहिए ।

7. आयोग ने 30.03.2010 को मामले की सुनवाई की ।

8. याची की ओर से याची स्वयं के साथ श्री पी. चन्द्रशेखरन अधिवक्ता उपस्थित हुए । याची की ओर से विद्वान काउंसेल ने याचिका और प्रत्युत्तर में निवेदनों को पुनः दोहराया । उन्होंने यह कथन किया कि यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रत्यर्थी ने पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' कहा गया है) के अध्यक्ष के रूप में मानदेय के नाम में पारिश्रमिक प्राप्त किया है, जो संदेय से परे यह साबित करता है कि बोर्ड के अध्यक्ष का पद लाभ का पद है । फिर विद्यमान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति पुडुचेरी सरकार द्वारा की जाती है और पद से पदधारी को हटाने की शक्ति भी सरकार में निहित होती है । उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि 2009 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथासंशोधित अधिनियम, 1994 में बोर्ड के अध्यक्ष के पद का ऐसे पद के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है जिसे अधिनियम 1963 की धारा 14(1)(क) के निबंधनानुसार निरर्हता से छूट प्राप्त है । विद्वान काउंसेल ने यह भी पुनः दोहराया कि प्रत्यर्थी ने पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उन पर श्रीमती जया बच्चन [जेटी 2006(5)414 एससी] के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अधिनियम, 1994 के साथ पठित धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता लागू होती है ।

9. श्री जयदीप गुप्ता, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री वी.जी. परागसम, अधिवक्ता प्रत्यर्थी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था, की ओर से उपस्थित हुए । ज्येष्ठ काउंसेल ने सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए :-

(i) हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार हाउसिंग बोर्ड एक निगमित निकाय है । बोर्ड का प्रशासन उसके अपने अधिनियम और नियमों के अधीन चलाया जाता है । बोर्ड को पुडुचेरी सरकार के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता और अध्यक्ष के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने संघ राज्यक्षेत्र शासन के अधीन पद धारण किया हुआ है ।

(ii) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता भारत सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र शासन के अधीन धारित लाभ के पद के मामले में ही लागू होती है । इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को 'राज्य' के बराबर नहीं किया जा सकता ।

(iii) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) संसद् और पुडुचेरी विधान सभा को किसी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने वाली विधि पारित करने के लिए सशक्त करती है जिसे पद के धारक के लिए निरर्हता लागू होगी । इस उपबंध के अधीन पुडुचेरी विधान सभा ने हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 13क में यह उपबंध किया है कि बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उक्त पद को धारण करने के कारण विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । इसलिए प्रत्यर्थी को निरर्हता से संरक्षण प्राप्त है ।

(iv) संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित अधिनियम, 1994 के अधीन निरर्हता से अर्हित छूट केवल उन पदों की बाबत लागू होती है जिन्हें उस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है । दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 13क के अधीन उपबंधित निरर्हता से छूट अनर्हित छूट और आत्यांतिक है ।

10. आयोग ने दोनों पक्षों के मतों पर विचार किया है । पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम में एक उपाबंध (धारा 13क) है, जो उपबंध करता है कि बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति, पुडुचेरी विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्हित नहीं किया जाएगा । वर्तमान

मामले में, श्री अंगालेन सर्व सम्मति से बोर्ड के अध्यक्ष हैं । याची ने प्रतिवाद किया है कि अधिनियम 1994 के अधीन हाउसिंग बोर्ड अधिनियम के उक्त उपबंध प्रत्यर्थी को निरर्हता से संरक्षित नहीं करते हैं, निरर्हता के विरुद्ध संरक्षा केवल इस आधार पर विद्यमान है कि यदि पद का धारक वेतन, पारिश्रमिक आदि नहीं प्राप्त करता है; जबकि प्रत्यर्थी ने 15,000/- रुपए प्रतिमाह का मानदेय तथा अन्य परिलब्धियां भी प्राप्त की है ।

11. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता की कार्रवाई से संबंधित है । यह धारा को पुनः प्रस्तुत में लाभकारी है ।

"14. सदस्यता के लिए निरर्हताएं :

(1) कोई व्यक्ति संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा--

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा ने विधि द्वारा घोषित किया है और कोई लाभ का पद धारण करता है ; अथवा

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए तत्समय निरर्हित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इसलिए भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है ।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का कोई सदस्य ऐसा सदस्य होने के लिए उपधारा (1) के अधीन निरर्हित हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।"

ऊपर उल्लिखित धारा 14 की उपधारा (1)(क) यह स्पष्ट करती है कि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के आधार पर की गई निरर्हता, उन पदों पर जिन्हें संसद् या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा घोषित किया गया है उसके पदधारियों के लिए निरर्हता उपगत नहीं होती है । ऐसे पद जो तत्काल मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 2006 में पुडुचेरी विधान सभा के सदस्य के रूप में, उसे निर्वाचन के पश्चात्, प्रत्यर्थी पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के पद में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था । तथापि, ऊपर उल्लिखित धारा 14(1)(क) से यथा प्रेक्षित होगी, राज्य विधान मंडल के सदस्य द्वारा धारण करने वाला प्रत्येक पद विधितः निरर्हता उपगत नहीं करता है । 1963 के अधिनियम की उक्त धारा 14(1)(क) संसद् और संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडल को निरर्हता के कार्यक्षेत्र से कतिपय पदों को उनके विवेक पर, छूट देने की शक्ति प्रदान करती है । उच्चतम न्यायालय के तत्काल निर्णय में रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 का 448 (कंज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी बनाम यूनियन आफ इंडिया और अन्य) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि :

"निरर्हता के प्रयोजन के लिए कौन से पद अपवर्जित किए जाने चाहिए, एक ऐसा प्रश्न है जो उचित रूप से विधायी विस्तार क्षेत्र में आता है । इस मामले में किस प्रकार का पद लाभ के पद की कोटि में आएगा और क्या ऐसे लाभ के पद को छूट दी जानी है, एक ऐसा विषय है जिस पर संसद् द्वारा विचार किया जाए ।"

12. वर्तमान मामले में, जहां विधि पुडुचेरी विधान सभा द्वारा अधिनियमित है, जिसे राष्ट्रपतीय अनुमति प्राप्त है और जिसे सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया है, अन्य बातों के साथ, जिसे, पुडुचेरी विधान सभा के सदस्यों की ओर से, चुने जाने के लिए निरर्हता के कार्यक्षेत्र से, पुडुचेरी

हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पद को छूट प्राप्त है । इस विधि के अधीन, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 13क, आदि, बोर्ड के अध्यक्ष के पद के संबंध में निरर्हता से प्राप्त छूट का उपबंध एक अनर्हता है । यद्यपि, यह सत्य है कि अधिनियम, 1994 निरर्हता से सापेक्ष छूट का उपबंध करता है, पदधारी को पद प्राप्त नहीं है अथवा वह किसी फीस या प्रतिकरात्मक भत्ता से भिन्न किसी प्रतिपूर्ति के लिए दावेदार है परंतु उक्त सापेक्ष छूट, उस अधिनियम में केवल विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में लागू है । पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद, अधिनियम, 1994 में अथवा 2009 के संशोधित अधिनियम में, उल्लिखित नहीं किया गया है, जैसे कि पद अधिनियम, 1973 की उक्त धारा 13क और उसके अधीन उपबंधित अनर्हित छूट का उपबंध, विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है । आयोग ने, निर्देश मामला सं. 2006 का 48 में, श्री मतीन अहमद के अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर, तब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, विधान सभा में विधान सभा सदस्य जिसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण किया हुआ था, समान विचार किया है । दिल्ली वक्फ बोर्ड के, अध्यक्ष का पद, "दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1997" के अधीन किसी पद को निरर्हता से विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त नहीं थी । तथापि, वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा अंतःस्थापित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31क के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से 24 अप्रैल को अधिसूचित उक्त पद को निरर्हता से छूट प्राप्त थी । उस मामले में, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि यदि अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड का पद धारण करने के आधार पर पूर्णतः कोई निरर्हता थी तो वह "वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006" को ध्यान में रखते हुए भूतलक्षी प्रभाव से हटा दी गई है । यह उल्लेख करना संगत है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की निरर्हता का प्रश्न श्री हामुल युसुफ तत्कालीन विधान सभा सदस्य दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका सं. 2004 का 2 में पूर्व में उठाया गया था । दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय तारीख 22.08.2000 के अनुसार याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया था कि वक्फ अधिनियम की धारा 31क में स्पष्ट रूप से और सुस्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद धारण करने का परिणाम निरर्हता नहीं होगा । दिल्ली उच्च न्यायालय का

निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2006 की सिविल अपील सं. 4981 में अपने आदेश तारीख 4.12.2007 द्वारा मान्य ठहराया था ।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने विचार नहीं किया, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा अन्य मतों में इसकी आवश्यकता पर विचार नहीं किया कि पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड एक बाडी निकाय है और जो पुडुचेरी सरकार का भाग नहीं है । यह लिखना पर्याप्त है कि क्या यह सुसंगत है कि संबंधित पद सरकार के अधीन एक पद है । तथ्य यह कि अध्यक्ष को पद पर नियुक्त करने की शक्ति और उसे पद से हटाने की शक्ति के अधीन संघ राज्यक्षेत्र शासन का पृथमदृष्ट्या सुझाव यह है कि उक्त पद, अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के उद्देश्यों के लिए संघ राज्यक्षेत्र शासन के अधीन एक पद के प्रवर्ग के अधीन आएगा । तथापि, निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह कि हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का उक्त पद, पुडुचेरी विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि के अधीन निरर्हता से छूट पर स्थित है । आयोग ने किसी अन्य प्रश्न में विचार नहीं किया है ।

14. पूर्ववर्ती को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बात पर विचार किया है कि पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 13क के अधीन पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष का पद संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है और अतः, श्री पी. अंगालेन, राज्य विधान सभा सदस्य, पुडुचेरी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद को धारण किए जाने के आधार पर धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता के अध्यधीन नहीं है । निर्देश, इस प्रभाव की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(वी0 एस0 संपत)	(नवीन बी. चावला)	(डा. एस0 वाई0 कुरैशी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली.
तारीख : 25 मई, 2010

[फा. सं. एच-11026(2)/2010-वि. II]
एन. के. नम्पूतिरी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2010

S.O. 1853(E).—The following Order made by the President is hereby published for general information :—

7th July, 2010

ORDER

Whereas the question of alleged disqualification of Shri P. Angalane, Member of the Legislative Assembly of Puducherry was raised in a petition submitted by Shri S. Jayamani, Bharathi Nagar, Puducherry;

And whereas the contention in the said petition was that Shri Angalane was holding the post of Chairman, Puducherry Housing Board, which is alleged to be an office of profit under the Government of Puducherry, within the meaning of the clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), and attracts disqualification for being a member of the Legislative Assembly of Puducherry under the said section;

And whereas a reference was made on the 13th November, 2009 seeking the opinion of the Election Commission under sub-section (4) of section 14 of the aforesaid Act, on the question as to whether Shri Angalane, Member of the Legislative Assembly of Puducherry, has become subject to disqualification for being a Member of the Legislative Assembly under clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the aforesaid Act;

And whereas, having regard to the facts on record and in the light of certain judicial pronouncements on the matter which are similar in nature, the Election Commission is of the considered view (opinion of the Election Commission is annexed to as Annexure) that under section 13A of the Puducherry Housing Board Act, 1973, the office of Chairman of the Puducherry Housing Board is exempted from incurring disqualification under clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963, and, consequently, Shri P. Angalane, Member of Legislative Assembly of Puducherry is not subject to disqualification under clause (a) of sub-section (1) of the said section 14 on the ground of holding the office of Chairman, Puducherry Housing Board;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963, do hereby decide that Shri P. Angalane, Member of Legislative Assembly of Puducherry is not subject to disqualification under clause (a) of sub-section (1) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 on the ground of holding the office of Chairman, Puducherry Housing Board.

President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re: Alleged disqualification of Shri P. Angalane, MLA, under section 14(1) of the Government of Union Territories Act, 1963

Reference Case No. 3 of 2009

[Reference from the President of India, under Section 14(1) of the Government of Union Territories Act, 1963]

OPINION

This is a reference dated 13th November, 2009 from the President of India, under Section 14(1) of the Government of Union Territories Act, 1963, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri P. Angalane, Member of the Legislative Assembly of Puducherry, has become subject to disqualification for being Member of the Legislative Assembly, under section 14(1)(a) of Government of Union Territories Act, 1963.

2. The question of alleged disqualification of Shri P. Angalane, MLA was raised in a petition submitted to the President by Shri S. Jayamani., Bharathi Nagar, Puducherry. The contention in the said petition is that Shri Angalane is holding the post of the Chairman, Puducherry Housing Board, which is an office of profit under the Government of Puducherry, within the meaning of the Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963, and attracts disqualification for being a member of the Legislative Assembly under the said Section. The allegations/averments made in the petition are as follows:-

(i) Under sub-section (3)(a) of Section-3 of the Puducherry Housing Board Act, 1973, the Chairman of the Board is appointed by the Government. Shri Angalene was appointed by the Government of Puducherry as the

Chairman of the Puducherry Housing Board by G.O.M.s No. 11/2009-Hg dated 30th July, 2009.

(ii) The Puducherry Government has fixed salary/honorarium of Rs. 15,000/- per month for non-official Chairman of Societies, Boards etc. Shri Anagalene, in fact, received salary of Rs. 15,000/- for the month of September, 2009 and prior to that he had drawn Rs. 12,581/- as salary for August, on pro rata basis as he had taken charge only on 05-08-09.

(iii) As per the proviso to the Schedule to the Pondicherry Members of Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994, (referred to hereinafter as the `1994 Act), disqualification is not attracted only if the holder is not in receipt of remuneration other than compensatory allowance. If the Chairman receives remuneration or fee, disqualification will be attracted.

(iv) The office of the Chairman, Puducherry Housing Board has not been included in the list of the offices exempted from disqualification in the Schedule to the Puducherry Members of Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994 as amended by the Puducherry Members of Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2009 (referred to hereinafter as the `Amendment Act of 2009).

(v) Though Section 13A of the Puducherry Housing Board Act provides that no person shall be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly by virtue only of the fact that he is Chairman or Member of the Board, that Section will not cover the case of Mr. Angalane, who is receiving a salary/honorarium of Rs. 15000/- per month alongwith cars, computer, telephone, etc. Section 13A cannot protect the respondent from disqualification.

3. The Commission issued notice to Shri Angalane (respondent) on 10-12-2009 asking him to file his reply to the allegations made in the petition. The respondent filed his written statements, vide his letters dated 19.1.2010 and 0.7-2-2010.

4. The respondent made the following submissions in his reply:-

(i) The Puducherry Housing Board Act, 1973, which came into force on 5.9.1974, was subsequently amended by Puducherry Act No. 12 of 1980 on 23.12.1980 by inserting a new section 13A which provides that "No person shall be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly by virtue only of the fact that he is a Chairman or a member of the Board." By virtue of this inbuilt provision, holding the office of Chairman of the Board will not attract disqualification for being member of the legislative assembly. In view of the said Section 13A, there was no necessity to mention the office of Chairman of the Housing Board in the Puducherry Members of Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994.

(ii) The Chairman of the Board has been conferred with independent powers and has administrative control over the Board and the Board itself has its own funds. Therefore, the Chairman can not be said to be wholly under the control of the Government.

5. In the additional written submission filed by the respondent on 07-02-2010, the respondent stated that Section-13A was introduced in the Housing Board Act, 1973, by an amendment made in 1980, which was long before he was appointed to the post. He submitted that since the provision exempting the Chairman from disqualification was already incorporated in the Housing Board Act itself, there was no need to include the office of Chairman of the Board in the 1994 Act or in the subsequent Amendment Act of 2009. He further submitted that the exemption from disqualification in respect of the Chairman provided under the Housing Board Act was an unqualified exemption and that the other facilities provided such as car, computer, telephone etc. were properties of the Housing Board and not of the Chairman.

6. The petitioner, in his rejoinder, reiterated the submission that Shri Angalane, by virtue of entitlement to honorarium and other perks, was liable to be disqualified. He added that the logic of imposing disqualification for holding office of profit is to maintain purity of the legislature and to avoid conflict between duty and interest of the members of the legislative assembly, and such purity can not be expected if a member is appointed by the Govt. as Chairman of the Board and is paid remuneration for holding the office. He further added that the intention of the legislature, as evident from the 1994 Act as amended by the Amendment Act of 2009, is that the Chairman should not receive any fee or remuneration other than compensatory allowance.

7. The Commission heard the matter on 30.03.2010.

8. Shri P. Chandrasekaran, Advocate appeared for the petitioner alongwith the petitioner himself. The learned Counsel for the petitioner reiterated the submissions in the petition and the rejoinder. He stated that it was an admitted position that the respondent received remuneration in the name of honorarium as the Chairman of the Puducherry Housing Board (hereinafter referred to as the 'Board'), which proves beyond doubt that the office of chairman of the Board is an office of profit. The learned Counsel then submitted that appointment of the chairman of the Board is made by the Govt. of Puducherry, and the power to remove the incumbent from the office is also vested with the Government. He further submitted that the 1994 Act, as amended by the Amendment Act of 2009, does not mention the office of chairman of the Board as an office which is exempted from disqualification in terms of Section 14(1)(a) of the 1963 Act. The learned Counsel also reiterated that since the respondent has received remuneration, he has attracted disqualification under Section 14(1) (a) read with the 1994 Act in the light of the decision of the Supreme Court in the case of Smt. Jaya Bachchan [JT 2006(5) 414 SC].

9. Shri Jaideep Gupta, Senior Advocate and Shri V.G. Pragasam, Advocate, appeared for the respondent who was also present in person. The Senior Counsel made the following submissions at the hearing:-

(i) The Housing Board, as per the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section-3 of the Housing Board Act, 1973, is a body corporate. The administration of the Board is carried on under its own Act and Rules . The Board can not be treated as part of the Govt. of Puducherry, and the Chairman can not be said to hold an office under the Government of the Union Territory.

(ii) Disqualification under Section-14(1) (a) of the Government of Union Territories Act, 1963, applies only in the case of office of profit held under the Government of India or the Government of a State/UT. The Board can not be equated with 'State' for this purpose.

(iii) Section-14(1) (a) of the Govt. of Union Territories Act, 1963, empowers the Parliament and the Legislative Assembly of Puducherry to pass law declaring any office as an office which would not attract disqualification for the holder of the office. Under this provision, the Legislative Assembly of Puducherry has provided in Section-13A of the Housing Board Act that a person holding the office of Chairman of the Board would not be disqualified for being member of the Legislative Assembly on account of holding the said office. Therefore, the respondent is protected against disqualification.

(iv) The qualified exemption from disqualification under the 1994 Act, as amended by the Amendment Act of 2009, applies only in respect of those offices which are specified in the schedule to that Act. On the other hand, the exemption from disqualification provided under Section 13A of the Housing Board Act is unqualified exemption and absolute.

10. The Commission has considered the contentions of both sides. In the Puducherry Housing Board Act, there is a provision (Section 13A), which provides that a person holding the office of Chairman/Member of the Board shall not be disqualified for being a member of the Puducherry Legislative Assembly . In the present case, Shri Angalane is admittedly the Chairman of the Board. The petitioner contends that the said provisions of the Housing Board Act do not protect the respondent from disqualification as under the 1994 Act, protection against disqualification is available only if the holder of office does not receive salary, remuneration, etc., whereas the respondent receives an honorarium of Rs. 15000/- per month and also other perks,

11. Section 14 of the Govt. of Union Territories Act, 1963, deals with disqualifications for membership of Legislative Assembly of Union Territory of Puducherry. It is useful to reproduce the Section here:-

> *"14. Disqualifications for membership:*
>
> *(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of the Union territory-*
> *(a) If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of the Union territory other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislative Assembly of the Union territory not to disqualify its holder; or*
> *(b) If he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub- clause (b), sub- clause (c) or sub- clause (d) of clause (1) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.*
> *(2) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of the Union territory by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.*
> *(3) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly of the Union territory has become disqualified for being such a member under the provisions of sub- section (1), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.*

(4) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

Sub-section (1) (a) of the above quoted Section-14 makes it clear that the disqualification on the ground of holding an office of profit under the Government is not attracted by the holder of those offices that are declared by law made by the Parliament or the Legislature of the Union Territory as offices not attracting disqualification for the holder thereof. In the instant case, it is an admitted position that the respondent was appointed to the office of the Chairman, Puducherry Housing Board after his election as Member of Puducherry Legislative Assembly in 2006. However, as will be observed from the above quoted Section 14(1) (a), the holding of every office by a Member of State Legislature does not *ipso facto* attract disqualification. The said Section 14(1) (a) of the 1963 Act has given power to the Parliament and Union Territory Legislature to exempt, in their discretion, certain offices from the purview of the disqualification. In the recent judgment of the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 448 of 2006 (Consumer Education and Research Society vs Union of India and others), the Apex Court has held that :

> "Which "offices" should be excluded for the purpose of disqualification, is a question that properly lies in the legislative domain. In this case, what kind of office would amount to an office of profit under the Government and whether such an office of profit is to be exempted is a matter to be considered by the Parliament."

12. In the present case, there is a law enacted by the Puducherry Legislative Assembly, which got Presidential assent and has been duly notified, which, *inter alia*, exempts the office of Chairman and Members of Puducherry Housing Board, from the purview of disqualification for being chosen as, and for being, Members of Puducherry Legislative Assembly. Under this law, viz., Section-13A of the Puducherry Housing Board Act, 1963, there is an unqualified exemption

from disqualification provided in respect of the office of Chairman of the Board. Though it is true that the 1994 Act provides a qualified exemption from disqualification if the holder of the office is not in receipt of or entitled to any fee or reimbursement other than compensatory allowance, but that qualified exemption is applicable only in relation to offices mentioned in that Act. The office of Chairman of the Puducherry Housing Board does not find mention in the 1994 Act or in the Amendment Act of 2009, as that office has been given special treatment under the said Section-13A of the 1973 Act and provided unqualified exemption provided thereunder. The Commission has taken similar view in Reference Case No. 48 of 2006, on the question of alleged disqualification Shri Mateen Ahmed, then MLA in the legislative assembly of NCT of Delhi, who was holding the office of Chairman, Delhi Wakf Board. The office of Chairman, Delhi Wakf Board was not an office specifically exempted from disqualification under the 'The Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997' However, under Section-31A of the Wakf Act, 1995, inserted by "The Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006", notified on 24th April, 2006, with retrospective effect, the said office was exempted from disqualification. In that case, the Commission took the view that if at all there was any disqualification by virtue of holding the office of Chairman, Delhi Wakf Board, the same stood removed with retrospective effect in view of the "The Wakf (Delhi Amendment) Act, 2006". Pertinent to mention that the question of disqualification of the Chairman, Delhi Wakf Board was earlier raised in Election Petition No. 2 of 2004 before the Delhi High Court challenging the election of Shri Haroon Yusuf, then MLA and Chairman of the Delhi Wakf Board. The Delhi High Court, by its judgment dated 22-08-2006, dismissed the petition holding that Section- 31A of the Wakf Act clearly and unequivocally stated that holding the office of Chairman; Wakf Board would not lead to disqualification. The judgment of the Delhi High Court was upheld by the Supreme Court by its order dated 04-12-2007 in CA No. 4981 of 2006.

13. In view of the above, the Commission does not consider it necessary to go into other contentions made by the learned Senior Counsel on behalf of the respondent, that the Puducherry Housing Board, is a body corporate, and not a part of the Govt. of Puducherry. Suffice it to note that what is relevant is that the office concerned is an office under the Govt. The fact that the power to appoint the Chairman to the office and the power to remove him from the office rests with the Govt. of U.T. prima facie suggests that the said office would come under the category of an office under the Govt. of U.T. for the purposes of Section-14(1) (a) of the 1963 Act. However, in view of the finding that the said office of Chairman of the Housing Board stands exempted from disqualification, under the law made by the Puducherry Legislative Assembly, the Commission is not delving into the question any further.

14. Having regard to the foregoing, the Commission is of the considered view that under Section-13A of the Puducherry Housing Board Act, 1973, the office of Chairman of the Puducherry Housing Board is exempted from disqualification under Section-14(1) (a) of the Government of Union Territories Act, 1963, and, consequently, Shri P. Angalane, MLA, is not subject to disqualification under the said Section 14(1) (a) on the ground of holding the office of Chairman, Puducherry Housing Board. The reference is returned to the President with the opinion to this effect.

V. S. Sampath

(V.S. SAMPATH)
Election Commissioner

(NAVIN B. CHAWLA)
Chief Election Commissioner

(S.Y.QURAISHI)
Election Commissioner

New Delhi
Dated : 25th May, 2010

[F. No. H-11026(2)/2010-Leg. II]
N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.